(2)

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी —एक/16 RM-1805-I-16

बालगोविन्द तनय श्री बृजलाल प्रजापति
निवासी ग्राम लुहरगांव, तहसील गुनौर,
जिला पन्ना म0प्र0

.....आवेदक

विरुद्ध

1— अजय कुमार तनय श्री रामसिया पटेल
निवासी ग्राम निबहरी, हाल निवासी—
ग्राम लुहरगांव, तहसील गुनौर, जिला
पन्ना म0प्र0,

2— मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता—1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.05.2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गुनौर, तहसील गुनौर, जिला पन्ना के प्र0क0 175/अ—13/अपील/2014—15 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :—

1— यह कि, ग्राम लुहरगांव की आराजी नं0 1481 रकवा 0.09 हैक्टेयर आवेदक बालगोविन्द तनय बृजलाल प्रजापति की स्वअर्जित संपत्ति है। जो आवेदक के

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1805–एक/16 जिला –पन्ना

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 3.10.16 | यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गुनौर जिला पन्ना द्वारा प्रकरण कमांक 75/अ–13/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2015 के विरूद्व मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है।<br><br>2–प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार गुनौर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनावेदक द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है और मकान बनाया जा रहा है जिससे रूढ़िगत मार्ग बन्द होने के साथ–साथ शांति भंग होने की संभावना है इस कारण से मकान निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाय। तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुये प्रकरण पंजीबद्व किया गया। तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.05.2015 द्वारा आवेदक का आवेदन–पत्र अंशतः स्वीकार किया गया और स्थगन आदेश जारी किया गया। तहसीलदार के उपरोक्त आदेश के विरूद्व अनावेदक अजय कुमार की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत विलंब के आवेदन–पत्र को स्वीकार करते हुये विलंब को माफ किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश से | |

परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्कों में पुनरीक्षण आवेदन–पत्र में वर्णित तर्कों पर जोर देते हुये बताया कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गयी थी वह समय वंचित थी, अनावेदक तहसील न्यायालय के समक्ष पक्षकार था तथा उसके द्वारा स्वंय प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होकर कार्यवाही की गयी है। अनावेदक और उसके अभिभाषक को तहसील न्यायालय के आदेश की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद भी उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील 30 दिन की निर्धारित अवधि के पश्चात् 55 दिन विलंब से अपील प्रस्तुत की गई। अनावेदक द्वारा विलंब क्षमा करने हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र में कोई स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया है। तहसील न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर एवं जांच करने के उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र को स्वीकार किया गया था। आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी उन पर विचार न करते हुये अनावेदक की अपील को समयावधि में मान्य करने में त्रुटि की गई है।

4– उत्तरार्थी / आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी गुनौर द्वारा अपने विवेक का प्रयोग न करते हुये प्रकरण की परिस्थितियों को अनदेखा कर अपीलार्थी / अनावेदक अजय पटेल का अवधि वाह्य आवेदन अपील की अवधि 30 दिन के स्थान पर 55 दिन बाद बिना किसी

सही कारण दर्शित किये जो विधि मंशा से हटकर होने से अपील खारिज की जाये। रेवेन्यू अधिनियम 1965 पेज नम्बर 306 राजरानी विरूद्व शिवनारायण सिंह व अन्य का भरोसा किया जा सकता है।

5– अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने विवेक का समुचित प्रयोग करते हुये तथा प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत विलंब के आवेदन को स्वीकार किया गया है। जो पूर्णतः उचित आदेश है जिससे निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस कारण निगरानी आवेदन–पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

6– उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्कों एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात् मैं यह पाता हूं कि तहसील न्यायालय की कार्यवाही में अनावेदक लगातार उपस्थित होता रहा तथा उसकी ओर से उसके अभिभाषक भी प्रकरण में उपस्थित होते रहे, ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि उन्हें आदेश की जानकारी नहीं थी। प्रकरण के अवलोकन से यह भी पाता हूं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें मात्र यह लिखा गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र उत्तरार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं उभयपक्षों के तर्कों पर विचार करते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्क सारगर्भित प्रतीत होते है, तथा अपीलार्थी को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः धारा–5

का आवेदन –पत्र स्वीकार किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अनावेदक द्वारा उनके समक्ष जो तर्क प्रस्तुत किये गये थे वे क्यों मान्य नहीं किये जाने योग्य नहीं है। इस कारण मैं अनुविभागीय अधिकांरी का आदेश न्यायोचित नहीं पाता हूं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 75/अ–13/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2015 विधि सम्मत न होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार गुनौर द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–13/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2015 यथावत् रखा जाता है व रूढ़िगत रास्ता पूर्व मुताबिक बहाल किये जाकर रास्ते पर एवं निगरानीकर्ता की भूमि पर अनधिकृत निर्माण हटाये जाकर नक्शा में रास्ता लाल स्याही से अंकित करें। तदानुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जाये। तदुपरांत प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य